संख्या : 2/7/73 रा० एकी०

प्रेषक

श्री सत्य प्रकाश भटनागर,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक : लखनऊ, 16 जुलाई, 1976 ।

विषय :—अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये प्रोत्साहन ।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत रखने तथा समाज में एकता बनाये रखने के लिए अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इससे भिन्न-भिन्न परिवारों में एकता की भावना सुदृढ होगी और जाति-पाति का भेदभाव मिटेगा।राष्ट्रीय एकता की दिशा-में इस प्रकार के विवाहों को सक्रिय प्रोत्साहन देने के लिये शासन ने एक योजना बनाई है जिसकी सामान्य रूप रेखा के अन्तर्गत अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को पुरस्कार के रूप में एक हजार रुपया एक मेडल, एक प्रमाण-पत्र तथा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण तथा मकान बनाने के लिये भूमि आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी । शर्त यह होगी कि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों में एक पक्ष अनुसूचित जाति का होगा और अन्तर्धार्मिक विवाह में धर्म परिवर्तन नहीं होगा । योजना का पूर्ण प्रारूप तैयार होने के पूर्व यह आवश्यक है कि इस योजना का हर जिले में आम जनता में प्रचार किया जाये और आवेदन-पत्र (संलग्न प्रपत्र में) आपके द्वारा आमंत्रित किये जायं, इन पर अगले आदेश होने तक आवश्यक जांच की कार्यवाही भी शुरू कर दी जावे ।

भवदीय,
सत्य प्रकाश भटनागर
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या : 2/7/73-(1)—रा०एकी० तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,
के० एन० घोष
अनुसचिव ।

संख्या : 2/7/73-(11)—रा०एकी० तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:—

1—राज्यपाल के सचिव ।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3—मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के सूचनार्थ ।

आज्ञा से,
के० एन० घोष
अनुसचिव ।

संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल ऐसे दम्पति को योजना के अधीन जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाय, अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करते हैं, एतद्पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमावली बनाते है

नियमावली

संक्षिप्त नाम

1--यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 कही जाएगी ।

प्रारम्भ होने का दिनांक

2--यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

परिभाषाएं

3--(क) "पुरस्कार" में नकदी, पदक या ऐसे अन्य प्रोत्साहन या ऐसी प्रसुविधाएं देना भी सम्मिलित है जैसी राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे ।

(ख) "सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) "जिला मजिस्ट्रेट" का तात्पर्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट से है जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में कोई विशिष्ट दम्पति, जो इस नियमावली के अधीन अनुमन्य किसी प्रसुविधा का पात्र हो, स्थायी रूप से निवास करता है या अधिवासित है ।

(घ)" अनुसूचित जाति" का तात्पर्य ऐसी जाति, मूलवंश या जन-जाति या ऐसी जाति मूलवंश या जन-जाति के भाग या अन्तर्गत समूह से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जाति समझा जाता हो ।

पात्रता

4--नियम 5, 6 और 7 के अधीन रहते हुए किसी दम्पति को पुरस्कार देने के लिए पात्रता निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर होगी:--

(क)

(1) दम्पति भारत के नागरिक है;

(2) दम्पति इस राज्य के वास्तविक निवासी या अधिवासी है;

(3) उनका विवाह वास्तविक रूप से अन्तर्जातीय या अन्तर्धार्मिक है परन्तु अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में विवाह का एक पक्ष अनुसूचित जाति का है; और विवाह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (अधिनियम संख्या 43, 1954) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या किसी रजिस्ट्रीकृत अन्तर्जातीय / अन्तर्धार्मिक विवाह संघ या ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है या मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर या देवस्थान में सम्यक् रूप से सम्पन्न हुआ है ।

स्पष्टीकरण :--इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, कोई विवाह अन्तर्धार्मिक विवाह समझा जाएगा, यदि विवाह होने के पूर्व उसके पक्षकार] भिन्न-भिन्न धर्म को मानने वाले थे ।

पुरस्कार देने की शर्तें

5--(1) पुरस्कार पात्र दम्पति को संयुक्त रूप से अनुमन्य होगा और केवल एक बार दिया जाएगा ।

(2) इस नियमावली के अधीन पुरस्कार प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण, विवाह-विच्छेद या विवाह विघटन कर लेने पर, दम्पति पुरस्कार पर व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य सरकार को प्रतिभूति करने के लिए उत्तरदाई होंगे और वह भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय होगी ।

(3) यदि बिना किसी न्याय संगत कारण के और विवाह के दिनांक से प्रारम्भ होकर पांच वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पति के वैवाहिक सम्बन्ध टूट जाते हैं तो तदुपरान्त पुरस्कार की सम्पूर्ण धनराशि या मूल्य भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूलीय हो जाएगा ।

पुरस्कार की धनराशि

6--पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल एक हजार रुपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय ।

पुरस्कार के लिए आवेदन-पत्र देने की रीति

7--पुरस्कार के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र, परिशिष्ट-1 में विहित प्रपत्र में; जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर आवेदक और, यथास्थिति उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा या उसकी पत्नी या उसके पति का अंगुष्ठ-चिन्ह लगा होगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जायेंगे--

(एक) जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट (कार्यपालक) / सिटी मजिस्ट्रेट । परगना मजिस्ट्रेट या तहसीलदार का जाति प्रमाण-पत्र ।

(दो) विवाह सम्बन्धी विवरण ।

(तीन) आवेदक और उसकी पत्नी या उसके पति द्वारा परिशिष्ट-2 में विहित प्रपत्र में, स्टाम्प-पत्र (न्यायालय) पर हस्ताक्षरित एक करार ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, प्राप्त आवेदन-पत्र की आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् ऐसे दम्पति का जिन्हें वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पात्र समझे, नाम और पता और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिश राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सरकार को अग्रसारित करेगा ।